राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

कमांकः प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2011–12/1787 दिनांक 02-11-11

परिपत्र

कार्यालय आदेश कमांक प.149/मुसप्र/नवीन–पंजी. योजना/2011–12/1746 दिनांक 20.10.2011 द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों की 9 आवासीय योजनाओं में 2 नवम्बर, 2011 से नवीन पंजीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने के आदेश जारी किये गये थे जिसकी प्रति मुख्य अभियन्ता, अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सभी सम्बन्धित उप आवासन आयुक्तों/आवासीय अभियन्ताओं को भी मुख्य सम्पदा प्रबन्धक द्वारा पृष्ठांकित की गई थी। उक्त कार्यालय आदेश में यह भी अपेक्षा की गई थी कि समय रहते प्रस्तावित आवासों की लागत निर्धारित करवा कर पंजीकरण पुस्तिका छप कर तैयार हो जाये तथा सभी सम्बन्धित कार्यालयों व सम्बन्धित बैंक शाखाओं में विकय हेतु उपलब्ध रहे। खेद की बात है कि 1.11.2011 तक केवल कुछ ही योजनाओं की पंजीकरण पुस्तिकायें छपकर तैयार हो पाई है। अतः पुनः निर्देश दिये जाते है कि–

1. समस्त आवासीय योजनाओं की पुस्तिकायें तत्काल छपवा कर आवासन मण्डल मुख्यालय, सम्बन्धित बैंक शाखाओं व सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालयों में विकय हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. सभी पुस्तिकायें आवासन मण्डल की वेबसाईट पर डलवाना सुनिश्चित करें।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मांग के अनुरूप पुस्तिकायें/आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक शाखाओं व कार्यालयों में अंतिम तिथि तक विकय हेतु उपलब्ध रहे। आवेदन पत्रों की कमी को गंभीरता से लिया जावेगा।

4. सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त व आवासीय अभियन्ता सम्बन्धित बैंकों के शाखा प्रबन्धकों से निरन्तर सम्पर्क में रहकर आवेदकों की कठिनाइयों का निराकरण करेंगे।

भविष्य में भी उक्त निर्देशों की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर पर सख्ती से पालना कराई जाये। समय पर पुस्तिकायें विकय हेतु उपलब्ध नहीं होने/वेबसाईट पर नहीं डलवाने को गंभीरता से लिया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर प्रत्येक योजना की पंजीकरण पुस्तिकायें सम्बन्धित कार्यालयों व बैंक शाखाओं में पहुंचाते हुए स्पेसीमेन पुस्तिकायें अधोहस्ताक्षरकर्ता को 2.11.2011 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Sd/-
(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि–सूचनार्थ/ पालनार्थ–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत ....
5. सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड ....
6. ए.सी.पी., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

आवासन आयुक्त